



● बीआरकेजीबी दुपहिया वाहन ऋण योजना

1.	उद्देश्य	स्वयं का दुपहिया वाहन— स्कूटर/मोपेड/मोटर साइकिल क्रय हेतु ऋण उपलब्ध करवाना।
2.	पात्रता	ऐसे व्यक्ति जो सरकारी/अर्द्धसरकारी निगमों, निकायों/प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों/प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत है, अथवा जिनका स्वयं का व्यवसाय है यथा डॉक्टर, चार्टर अकाउण्टेंट, इंजिनियर वकील, व्यापारी एवं लघु व्यवसायी आदि।
3.	ऋण सीमा	i. अधिकतम ₹ 1.00 लाख ii. वाहन के मूल्य + पंजीयन शुल्क + बीमा प्रीमियम का 75 प्रतिशत iii. आवेदित राशि iv. बिन्दु सं. i से iii में जो भी न्यूनतम हो।
4.	प्रतिभूति	1. वाहन का बैंक के पक्ष में दृष्टिबंधन 2. प्रतिष्ठित 2 व्यक्तियों की जमानत 3. उतर दिनांकित 10 चेक
5.	मार्जिन	लागत का 25 प्रतिशत न्यूनतम (लागत में वाहन का मूल्य + पंजीयन शुल्क + बीमा प्रीमियम शामिल होगा।)
6.	सेवा प्रभार	प्रोसेसिंग चार्ज, दस्तावेज शुल्क, निरीक्षण प्रभार, बैंक द्वारा जारी परिपत्रानुसार वसूल किया जावेगा।
7.	पुर्नभुगतान	60 समान मासिक किश्तों में
8.	ब्याजदर	बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रानुसार लागू होगी—